मोबाइल नंबर पोर्टेबलिटी पर TRAI के अद्यतन नियम

स्रोत: द हिंदू

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने **मोबाइल नंबर पोर्टेबलिटी** से संबंधित धोखाधड़ी प्रथाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से नए नियम लागू किये हैं।

- अद्यतन नियमों के अनुसार, जिन ग्राहकों ने हाल ही में पिछले 7 दिनों के **अंदर खो जाने या क्षति के कारण अपने सिम कार्ड बदले हैं** , उन्हें किसी **अलग नेटवर्क प्रदाता पर पोर्ट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी** ।
- यह **प्रतिबंध धोखेबाज़ों** को सिम कार्ड की अदला-बदली करके और मोबाइल नंबर पोर्टिंग प्रक्रिया का उपयोग करके प्रदाताओं को तुरंत बदलने का प्रयास करने से **रोकने के लिये लागू किया गया है।**
- TRAI द्वारा उठाए गए पिछले उपायों में **स्पैम ऑप्ट-आउट** के लिये **डू-नॉट-डिस्टर्ब रजिस्ट्री** की स्थापना करना और व्यवसायों को लेन-देन संबंधी SMS संदेशों के लिये विशिष्ट प्रारूपों का पालन करना अनिवार्य करना शामिल है।
- TRAI नाबालिगों और **आश्रितों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, पंजीकृत कॉलर नाम प्रदर्शित करने** तथा **पोर्टिंग के लिये KYC प्रक्रियाओं** को बढ़ाने जैसे विकल्प भी तलाश रहा है।

और पढ़ें... भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/trai-s-updated-regulations-on-mobile-number-portability